38

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्य प्रदेष, ग्वालियर

समक्ष– एम0 के0 सिंह,
सदस्य

निगरानी प्रकरण कमांक 629–तीन/2010 विरूद्ध आदेश, दिनाक 30–7–2009 पारित द्वारा अपर आयुक्त, चंबल सभाग, मुरैना के प्रकरण कमांक 156/07–08 अपील

लच्छीराम पुत्र शंकर आदिवासी उम्र 64 साल
निवासी ग्राम राड़ेप, परगना व जिला श्योपुर
मध्य प्रदेश .....आवेदक

विरूद्ध

1 रामस्वरूप पुत्र मांगीलाल आदिवासी
उम्र 46 साल, निवासी ग्राम नयागांव,
तहसील व जिला श्योपुर म0 प्र0
2 चेत्या पुत्र सूरजा आदिवासी
3 अंशू पुत्र सूरजा आदिवासी
निवासीगण ग्राम राड़ेप हाल निवासीगण
ग्राम आवदा, तहसील व जिला श्योपुर म0 प्र0 ----अनावेदकगण

श्री एस0 के0 अवस्थी अभिभाषक, आवेदक
श्री मुकेश भार्गव, अभिभाषक, अनावेदक कमांक 1

:: आ दे श ::

(आज दिनांक 6-12-2016 को पारित)

यह निगरानी अपर आयुक्त, चंबल संभाग, मुरैना द्वारा प्रकरण कमांक 156/07–08 अपील में पारित आदेश दिनांक 30–7–2009 के विरूद्ध म0 प्र0 भू–राजस्व संहिता, 1959 की धारा 50 के अंतर्गत प्रस्तुत की गयी है ।

2/ प्रकरण संक्षेप में इस प्रकार है कि तहसील श्योपुर के ग्राम रापेड़ में स्थित विवादित भूमि सर्वे कमांक 311 रकबा 5 बीघा 5 बिस्वा जिसकी अभिलिखित भूमिस्वामिनी मृतक केशरबाई बेवा हीरा सहर थी । अभिलिखित भूमि–स्वामिनी केशरबाई की मृत्यु हो जाने के कारण अनावेदक कमांक 1 रामस्वरूप पुत्र मांगीलाल द्वारा विवादित भूमि पर मृतक केशरबाई के स्थान पर वसीयतनामा के आधार पर नामांतरण किये जाने बाबत एक आवेदन पत्र प्रस्तुत किया । अनावेदक कमांक 2 एवं 3 द्वारा वारिसान के आधार पर अपने नाम नामांतरण किये जाने बाबत आवेदन प्रस्तुत किया गया । नामांतरण विवादित होने के कारण पटवारी मौजा द्वारा प्रकरण निराकरण के लिये विचारण न्यायालय को भेजा । विचारण न्यायालय द्वारा प्रकरण कमांक 15/05–06/अ–6 पर दर्ज किया जाकर पारित आदेश दिनांक 29–6–2007 से अनावेदक कमांक 1 रामस्वरूप द्वारा प्रस्तुत वसीयतनामा को प्रमाणित न मानकर वसीयतनामा के आधार पर नामांतरण कराये जाने बाबत प्रस्तुत आवेदन पत्र को निरस्त करते हुये आवेदक लच्छीराम के नाम नामांतरण स्वीकार किया गया । विचारण न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 29–6–07 से परिवेदित होकर अनावेदक कमांक 1 रामस्वरूप द्वारा अपील अनुविभागीय अधिकारी, श्योपुर के समक्ष प्रस्तुत की गई, जो प्रकरण कमांक 70/06–07/अपीलमाल पर दर्ज की जाकर पारित विचाराधीन आदेश दिनांक 28–2–2008 से स्वीकार करते हुये विचारण न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 29–6–2007 निरस्त करते हुये प्रकरण विचारण न्यायालय को उभयपक्षकारों को सुनवाई का पर्याप्त अवसर प्रदान किया जाकर प्रकरण में विधिवत आदेश पारित किया जावे । अनुविभागीय अधिकारी, श्योपुर द्वारा पारित आदेश दिनांक 28–2–2008 से दुखी होकर आवेदक द्वारा अपील अपर आयुक्त के समक्ष प्रस्तुत की गई । अपर आयुक्त द्वारा आदेश दिनांक 30–7–2009 द्वारा अपील निरस्त की गई । अपर आयुक्त के इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है ।

3/ आवेदक की ओर से विद्वान अधिवक्ता द्वारा मुख्य रूप से उन्हीं तर्कों को दोहराया गया है जो उनके द्वारा निगरानी मेमो में उद्धरित किए गए हैं ।

4/ अनावेदक कमांक 1 की ओर से विद्वान अधिवक्ता द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के आदेश को उचित बताते हुए निगरानी निरस्त किए जाने का निवेदन किया गया है ।

5/ अनावेदक कमांक 2 एवं 3 एकपक्षीय हैं ।

6/ उभयपक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं के तर्कों पर विचार किया एवं अभिलेख का अवलोकन किया । यह प्रकरण वसीयत के आधार पर नामांतरण का है । प्रकरण में विचारण न्यायालय द्वारा वसीयत के आधार पर नामांतरण किया गया । उक्त आदेश के विरूद्ध प्रस्तुत अपील में अनुविभागीय अधिकारी ने यह पाया है कि विचारण न्यायालय द्वारा वसीयत के आधार पर संहिता की धारा 109 एवं 110 के तहत नामांतरण किए जाने के संबंध में बनाए गए नियमों के अनुसार कार्यवाही नहीं की गई है और उक्त कारण से उन्होंने विचारण न्यायालय के आदेश को निरस्त कर पुनः साक्ष्य एवं सुनवाई कर आदेश पारित करने हेतु प्रकरण प्रत्यावर्तित किया गया है । अनुविभागीय अधिकारी के आदेश की पुष्टि अधीनस्थ न्यायालय ने की है । प्रकरण के तथ्यों को देखते हुए अपीलीय न्यायालयों के आदेशों में कोई विधिक या सारवान त्रुटि नहीं हैं और उनके आदेश अभिलेख पर आधारित हैं, जिनमें किसी हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है ।

उपरोक्त विवेचना के आधार पर यह निगरानी निरस्त की जाती है तथा अपर आयुक्त द्वारा पारित आलोच्य आदेश स्थिर रखा जाता है ।

(एम0 के0 सिंह)
सदस्य
राजस्व मण्डल, मध्य प्रदेश
ग्वालियर